भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (विवरणियां और वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018[1]

[23.10.2023 को अद्यतन किया गया]

केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, **2016** की धारा 27 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 53 की उप-धारा (2) के उप-खंड (**च**) और उप-खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (विवरणियां और वार्षिक रिपोर्ट) नियम, **2018** है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं. – (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, **2016** अभिप्रेत है;

(ख) "वार्षिक रिपोर्ट" से प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट अभिप्रेत है;

(ग) "परिशिष्ट" से इन नियमों से उपाबद्ध परिशिष्ट अभिप्रेत है;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ङ) "वर्ष" से अप्रैल के प्रथम दिन से शुरू होने वाले और ठीक पश्चातवर्ती वर्ष के मार्च के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

(2) सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु वे इस अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके हैं।

3. **त्रैमासिक विवरणियां प्रस्तुत करना.** – प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार को परिशिष्ट-**I** में विनिर्दिष्ट विषयों पर विवरणियां और विवरण तिमाही आधार पर प्रस्तुत करेगा।

4. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत करना. – (1) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट परिशिष्ट-**II** में विनिर्दिष्ट प्ररूप में, यथाशीघ्र तैयार करेगा।

---

[1] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i), दिनांक 10.5.2018 में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 441 (अ) (2016 की संख्या 1), दिनांक 27.4.2018 द्वारा प्रकाशित।

(2) प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष में निष्पादित इसके निम्नलिखित क्रियाकलापों का विवरण शामिल किया जाएगा, अर्थात्-

(क) प्राधिकरण के पूर्व वर्षों के सभी कार्यकलापों का विवरण;

(ख) पूर्व वर्ष के वार्षिक लेखे;

(ग) आगामी वर्ष के लिए कार्य संबंधी कार्यक्रम।

(3) प्राधिकरण की बैठक में स्वीकार करने के पश्चात वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित और प्राधिकरण द्वारा अधिप्रमाणीकृत की जाएगी तथा इसकी अपेक्षित संख्या में प्रतियां केंद्रीय सरकार को दिसंबर मास की 31 तारीख तक प्रस्तुत कर दी जाएगी, तत्पश्चात केंद्रीय सरकार इन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी।

परिशिष्ट I

यूआईडीएआई द्वारा तिमाही आधार पर प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित विवरणियां और विवरण

I. राज्यवार आधार सृजन की विवरणी

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल जनसंख्या	सौंपे गए आधार की संख्या	परिपूर्णता (%)
1.				
2.				
3.				

II. पिछली तिमाही के दौरान आधार उन्नयन की विवरणी

क्र.सं.	मास	मास के दौरान किए गए उन्नयन	स्थापना के बाद से संचित उन्नयन
1.			
2.			
3.			
तिमाही के दौरान कुल			XXX

III. पिछली तिमाही के दौरान आधार प्रमाणीकरण ट्रांजेक्शन विवरणी

क्र.सं.	मास	मास के दौरान अधिप्रमाणीकरण उन्नयन	स्थापना के समय से संचित अधिप्रमाणीकरण ट्रांजेक्शन

1.			
2.			
3.			
तिमाही के दौरान कुल			**XXX**

परिशिष्ट II

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

1. **एक अवलोकन**
2. **अध्यक्ष का कथन**
3. **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की कार्यप्रणाली**
   - 3.1 नामांकन और उन्नयन ईकोसिस्टम
   - 3.2 अधिप्रमाणीकरण ईकोसिस्टम
   - 3.3 लॉजिस्टिक ईकोसिस्टम
   - 3.4 प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन
   - 3.5 डेटा सुरक्षा, और गोपनीयता
4. **आधार-शासन सुधार के लिए एक साधन**
   - 4.1 आधार और वित्तीय समावेशन
   - 4.2 प्रत्यक्ष फायदा अंतरण
   - 4.3 नई पहल
5. **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले और वित्तीय प्रदर्शन**
   - 5.1 संगठनात्मक संरचना
   - 5.2 नागरिक/ग्राहक का चार्टर (सीसीसी)
   - 5.3 बजट और व्यय के ब्यौरे
   - 5.4 राजभाषा
   - 5.5 अन्य संबद्ध क्रियाकलाप
6. **भविष्य की योजनाएं**

उपाबंध

उपाबंध-**I**:आधार अधिनियम

उपाबंध-**II**: आधार विनियम

उपाबंध-**III**:राज्यवार आधार सृजित डेटा